न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 40/2023 बउनवानी राजमल जैन बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा
पुत्र श्रीलाल जैन निवासी भगवतगढ़,तहसील चौथ का बरवाडा
GCMS No-2023/61

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.3.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएें उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. कोई सचना नही चाही गयी है। 2. कोई सूचना नही चाही गयी है। 3. कोई सूचना नही चाही गयी है।. 4. प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 851,852,864,863 हाल ख0न0 3648/5274,3662,3663 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम भगवतगढ पटवार हल्का भगवतगढ ए में स्थित है उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही अमल मे लाई गयी व कब्जा सुपुर्दगी का आदेश किस दिनांक को पारित किया है उक्त आदेशो की प्रति उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा जवाब नोटिस क्रमांक/ एलआर/23/1701 दिनांक 6.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 16.3.2023 के बिन्दु संख्या 4 पर चाही गयी सूचना आदेश क्रमांक 899 दिनांक 25.4.2023 की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को जरिये पत्रांक भू.अ./2023/1700 दिनांक 6.7.2023 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 4 की सूचना जरिये पत्रांक 1700 दिनांक 6.7.2023 से उपलब्ध [illegible] उपलब्ध करवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा कोई उज्र भी पेश नही कि[illegible] स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल[illegible] शुमार होकर न[illegible] कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश [illegible] (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:39:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner